

राजस्थान सरकार
(जल संसाधन विभाग)

क्रमांक: 28 / भू0अ0 / ज0स0 / 2015 / 2559-2562
विज्ञप्ति

दिनांक: 18-6-2018

चूंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ, भीतपाड़ा माईकों सिंचाई परियोजना के निमित्त भूमि अवाप्ति किया जाना आवश्यक है। यह विज्ञप्ति किया जाता है कि नीचे वर्णित इलाको की भूमि की उक्त प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। अतः विज्ञप्ति अधिनियम के प्रावधानों की धारा-11 व 12 के अनुसार उन सब हितकारियों के निमित्त जारी की जाती है जिनका इससे संबंध है।

उक्त धारा में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार उन समस्त अधिकारियों को, जिनका इससे सम्बन्ध है, को कुछ समय के लिए अपने सेवकों एवं श्रमिकों सहित उक्त क्षेत्र में प्रवेश करने, सर्वेक्षण करने तथा वे सब कार्य करने हेतु अधिकृत करती है, जो उक्त धारा में दर्शाये गये हैं।

कोई हितकारी व्यक्ति जिसे निम्नांकित क्षेत्र की किसी भूमि के अवाप्त करने के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह उक्त विज्ञप्ति के राजपत्र में प्रकाशित होने के 60 दिन के अन्दर आपत्ति लिखित में भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बागीदौरा को प्रस्तुत कर सकता है। विवरण सलंगन सूची के अनुसार

सलंगन:-सूची

आज्ञा से,

६०

जितेन्द्र दीक्षित
उप सचिव एवं प्रा.वे.सहायक
वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक. 28 / भू0अ0 / ज0स0 / 2015 / 2559-2562

दिनांक.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1-अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन संभाग उदयपुर।
- 2-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री/अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशनार्थ प्रेषित हैं। कृपया प्रकाशन की सूचना से इस विभाग को यथा शीघ्र अवगत कराने की व्यवस्था करावें।
- 3-अधिसापी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड, बांसवाड़ा को निम्नलिखित कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-
(क) इस विज्ञप्ति को जन सम्पर्क निदेशालय के माध्यम से कम से कम दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में शीघ्र प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करें।
(ख) इस विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने की कार्यवाही हेतु।
- 4- भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बागीदौरा जिला बांसवाड़ा को प्रेषित कर लेख है कि विज्ञप्ति का सारांश सूचनार्थ यथोचित सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा की कार्यवाही कराने तथा अन्य आवश्यक कार्यवाही हेतु।

जितेन्द्र दीक्षित

उप सचिव एवं प्रा.वे.सहायक
वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन
राजस्थान जयपुर।



कार्यालय अधिशासी अभियंता, जल संसाधन खण्ड, बांसवाड़ा

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार
भीतपाड़ा फोर वाटर्स अन्तर्गत माईक्रो सिंचाई योजना के तालाब के डूब/निर्माण में अवाप्त भूमि की
धारा-11, 12 के प्रस्ताव

भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बागीदौरा जिला बांसवाड़ा (राज0)
ग्राम भीतपाड़ा तहसील गांगडतलाई जिला बांसवाड़ा (राज.) के अवाप्त भूमि के खातेदारी की सूची।

क्र.सं.	खसरा नम्बर	कुल क्षेत्रफल रकबा हैक्टर	किस्म जमीन	अवाप्त भूमि हैक्टर में	नाम खातेदार
1	2	3	4	5	6
गांव भीतपाड़ा					
1	348	0.48	बां.-3	0.25	श्री गलिया, बिजिया, मोहन, नगजी, जगजी, वागजी पिता जवला भील सा. देह खातेदार
2	353	0.09	बां.-3	0.09	श्री अर्जुन पिता भीमा, अबगारी बेवा भीमा भील सा. देह खातेदार
3	354	1.77	बां.-3	1.50	बशरह सदर
4	355	0.16	नाला	0.16	बिनानाम
5	356	0.75	बां.-3 कुआ-1	0.40	श्री अर्जुन पिता भीमा, अबगारी बेवा भीमा भील
6	357	0.39	नाली	0.25	बिनानाम
				2.65	हैक्टर

गोश्वारा फोर वाटर्स तालाब के डूब/निर्माण में अवाप्त भूमि का विवरण रकबा हैक्टर में

क्र.सं.	गांव	खातेदार	बिनानाम	योग	कुआ
1	भीतपाड़ा	2.24	0.41	2.65	1

सहायक अभियंता

अधिशासी अभियंता

अधीक्षण अभियंता,

जल संसाधन उपखण्ड, गढी
मु0 बांसवाड़ा

जल संसाधन खण्ड, बांसवाड़ा

जल संसाधन वृत्त, बांसवाड़ा

प्रति हस्ताक्षर

OFFICE OF THE E.E.W.R.DN.
R.R. No. 288
Dt. 25.10.18
At. I.H.M.V. District Engineer/E.C.
EQ. W.R.

जिलेन्द्र दीक्षित
उप शासन सचिव
जल संसाधन सचिव, जल संसाधन
राजस्थान, जयपुर

Ric